

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1610]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938

No. 1610]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASADHA 8, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

का.आ. 2231 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सं. का. आ. 1058(अ) दिनांक 10.03.2016 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

- (क) कॉलम सं. 4 में जिला “ईस्ट गोदावरी” और तालुक “मामीदीकुदुरु” से संबंधित क्रम सं. 254 के सामने प्रविष्टि “मामीदीकुदुरु” को “मोगलीकुदुरु” द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
- (ख) कॉलम सं. 4 में जिला “ईस्ट गोदावरी” और तालुक “मामीदीकुदुरु” से संबंधित क्रम सं. 430 के सामने प्रविष्टि “शिवाकोडू” अंतःस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/08/2013/-एनएचडीपी-IVए]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी:- मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 10.03.2016 में का. आ. 1058(अ) दिनांक 10.03.2016 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2016

S.O. 2231 (E).— In exercise of powers conferred by clause (A) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1058 (E) dated 10th March, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th March, 2016.

In the Schedule to the said Notification

- (a) *Against serial No.-254 relating to District “East Godavari” and Taluk “Mamidikuduru” in the 4th column entry “Mamidikuduru” shall be replaced by “Mogalikuduru”.*
- (b) *Against serial No.-430 relating to District “East Godavari” and Taluk “Mamidikuduru” in the 4th column entry “Sivakodu” shall be inserted.*

[F.No. RW/NH- 37014 / 08 / 2013 /-NHDP-IVA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy

Foot Note:-The principal notification were published vide S.O. 1058 (E) dated 10th March, 2016, published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 10th March, 2016.